

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
खण्ड-2 गाजियाबाद
201001

"अनापत्ति-प्रमाण-पत्र"

पत्रांक कॅम्प-अवर0अभि0 / (प्रमाण-पत्र)


दिनांक-16/3/10

सेवा में,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

विषय:- नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग द्वारा जी0डी0गोयनका पब्लिक स्कूल, राजनगर एक्सटेंशन, दिल्ली-मेरठ रोड, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। उक्त भवन में आर0सी0सी0के बीम है एवं छत भी आर0सी0सी0 की है, जिसकी स्थिति संतोषजनक है। अतः संस्था का भवन सुरक्षा एवं नेशनल कोड-2005 की दृष्टि से ठीक है तथा भवन स्कूल चलाने के लिये उपयुक्त है। अतः उक्त स्कूल का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।


16-03-10
अवर अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0,
गाजियाबाद।


Manager/Director
G.D. Goenka Public School
Raj Nagar Extension, Delhi Meerut
Bypass Road, Ghaziabad





गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

संख्या :

दिनांक :

प्रिय,

सहायक नगर निरीक्षक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा में,

श्री विन्स्टन कपूर सिंह
एच डी राजीव कॉम्प्लेक्स पुर्न सी वेम प्रयाग कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स-2, कानिगा,
गाजियाबाद।

संख्या 416 / 10 / 08

दिनांक 6/06/08

विषय: खसरा नं० 544 एच थुलवर को भूनामिका के सम्बन्ध में।

सूचना उपरोक्त निम्नलिखित अथवा द्वारा प्राप्त भूनामिका के क्रम में सहाय अधिकारी का आदेश दिनांक 04.06.2008 के द्वारा निम्न शर्तों के साथ भूनामिका प्रदान की गयी है।


- (1) आसानी निरीक्षण शुल्क ₹० 4,31,178.00 व उपविभाजन शुल्क ₹० 13,46,518.40 प्राधिकरण की ओर से जमा कराया होगा।
- (2) आसानी विकास शुल्क ₹० 2,68,70,188.00 जमा करने हेतु निम्नलिखित शर्तें दिनांक 13.09.2006 के निर्णय का अनुसार 25 प्रतिशत भूनामिका ₹० 62,17,547.00 भूनामिका निर्गत करने से पूर्व जमा करायी होगी तथा अनुसूची 75 प्रतिशत भूनामिका ₹० 1,86,52,541.00 तीन वर्षों में समतुल्य किस्तों में निभाया जाएगा। 2 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करायी होगी।
- (3) आसानी आंतरिक विकास शुल्क की दर में ₹० 82,87,219.00 को भीका करती देनी होगी।
- (4) सूचनात्मक डिवाइज गणना सहित व प्राप्त भूनामिका निर्गत होने से पूर्व आई.आर.टी. दिल्ली अथवा सड़की से गेट, फर्निचर प्रस्तुत करना होगा।
- (5) भूनामिका निर्गत होने से पूर्व सहाय अधिकारी को जांच आदेश व नकली प्रमाण आदि प्रस्तुत करने होंगे। यदि उक्त भूमि में प्राप्त समाज/संस्था की भूमि धारि जाती है तो विस्तार/भूनामिका के अभाव/अन्य कारणों पर प्रस्तुत करना होगा।
- (6) शीघ्र समय विभाग का अन्वयित इन्फार्म पत्र व अनुसूचित भूनामिका, भूनामिका निर्गत होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
- (7) भूमि में उल्लंघन से पूर्व सम्पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा अन्य सम्पूर्ण प्रमाण पत्र पूर्ण में आकर क्लेयरिफिकेशन की कार्य पूर्ण कराना होगा।
- (8) वैधानिक मीर अर्थात् का प्राविधान भी कराना होगा।
- (9) सम्बंधित प्लानिंग व 1980 की शर्तों के अन्तर्गत कराने होगा।
- (10) भूनामिका में दस्तावेज आसानीक जिन का सम्बन्ध हेतु छोड़ना होगा।
- (11) निर्धारित 25 मीटर की सीमा में विस्तार हेतु स्थल पर रोड का पथ की छोड़ने हेतु अन्वयित पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (12) यदि स्थल पर सड़क निर्माण की समय सड़क में जाने वाले नूनामिका की स्थिति का निरीक्षण के बाद कार्रवाई होगी है तो आवश्यक टैमका कराना होगा। इस अंतर्गत का समय वगैरे भी पूरा करना।
- (13) उपरोक्त समाज/संस्था विभाग से अन्वयित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (14) भूनामिका की प्रमाण निम्नलिखित आवश्यक होगी। दिल्ली का, विवाद की स्थिति में नूनामिका के अभाव में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Signature
Secretary

6/6/08

Manager/Director
G.D. Goenka Public School
Raj Nagar Extension, Delhi Meerut
Bypass Road, Ghaziabad





SCHOOL BUILDING GROUND FLOOR PLAN
 AT KH. NO. 544, NOOR NAGAR, GHAZIABAD, U.P.
 By G.D. Goenka Public School

Handwritten signature

Handwritten text: 1/5/2014

Handwritten signature
 Manager/Director
 G.D. Goenka Public School
 Raj Nagar Extension, Delhi Meerut
 Bypass Road, Ghaziabad



